

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रोहिली
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

सुरताराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार
निवासी रोहिली तहसील व जिला
बाड़मेर।

1. पेमाराम पुत्र पुरखाराम
2. देवाराम पुत्र पुरखाराम
3. अणदाराम पुत्र पुरखाराम
4. गोरोंदेवी पत्नि पुरखाराम
5. चीमाराम पुत्र भीखाराम
6. मुल्तानाराम पुत्र भीखाराम
7. मूलाराम पुत्र भीखाराम
8. चौथीदेवी पत्नि भीखाराम
9. वनणाराम पुत्र ताराराम
10. रताराम पुत्र ताराराम
11. कुटलाराम पुत्र ताराराम जातियान कुम्हार
12. कानसिंह पुत्र हिन्दूसिंह
13. बगतारसिंह पुत्र जालमसिंह
14. हरीसिंह पुत्र जालमसिंह
15. विक्रमसिंह पुत्र छुगसिंह जातियान राजपूत निवासीयान रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-736/2018 दिनांक-13.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रोहिली, पटवार हलका कपूरडी, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 392/23 रकबा 38.12 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 13/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6588-6591

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सुरताराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिली, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पेमाराम पुत्र पुरखाराम वगैरह जाति कुम्हार/राजपूत निवासी-रोहिली, तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर